नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक इकाई लगाने वालों को सरकार बड़ी सहूलियत देने जा रही है। खास तौर से नारंगी और हरी श्रेणी में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने इस स्कीम को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अनुकूल इकाइयों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी निरीक्षण की बाध्यता खत्म, उद्यमी स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे संस्था का चयन

उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में पर्यावरण अनुकूल इकाइयों के लिए किया गया फैसला

मुख्यमंत्री ने इज ऑफ डूइंग बिजिनेस के तहत प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश दिए थे। उनका पूरा फोकस उद्यमियों को अधिक से अधिक सहूलियत देने पर है। इसके मद्देनजर ही यूपीपीसीबी के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है।

बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि स्कीम के तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि उद्योग लगाने के लिए स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट मान्य होगा। अब तक सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को ही निरीक्षण करने का अधिकार था। इससे उद्यमियों को अनावश्यक भागदौड़ से निजात मिलेगी और व्यवस्था पारदर्शी होगी।

आरपी सिंह ने बताया कि स्कीम के तहत औद्योगिक इकाइयों को यह भी विकल्प दिया गया है कि बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे आईआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की निरीक्षण रिपोर्ट भी दे सकेंगे। इसके आधार पर भी इकाई लगाने के लिए सीटीई और सीटीओ जारी किए जा सकेंगे। सरकारी निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद अब औद्योगिक इकाई लगाने वाले उद्यमी स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कराने के लिए अपनी संस्था का चयन कर सकेंगे। ब्यूरो